लोक सुनवाई कार्यवृत मिनिट्स

*मेसर्स अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड द्वारा **1600 (2 x 800) MW** गोडडा, थर्मल पावर परियोजना, मोतिया, गंगटा, गायघाट, और अन्य गांव अंचल गोडडा एवं पोड़ैयाहाट जिला गोडडा में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की तिथि दिनांक 05.03.2017 दिन रविवार को पूर्वाहन् 11 बजे मोतिया हाई स्कूल प्रांगन अंचल गोडडा जिला गोडडा झारखंड में आयोजित लोक सुनवाई की कार्यवाही।*

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 1533/ई0आई0ए0 दिनांक 14.09.2006 एवं अधिसूचना संख्या एस0ओ0 3067 (ई0) दिनांक 01.12.2009 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए झारखंड़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, रांची के द्वारा निर्गत सूचना का, हिन्दी प्रकाशन दैनिक जागरण, इंडियन पंच, हिन्दुस्तान एवं इंगलिश प्रकाशन टाइम्स आफ इंडिया और द हिन्दु दिनांक 30 एवं 31.01.17 को हुआ था।

उपर्युक्त सूचना के अनुसार लोक सुनवाई दिनांक 05.03.2017 को पूर्वाहन 11:00 बजे मोतिया हाई स्कूल प्रांगन अंचल गोडडा, जिला गोडडा, झारखंड में **श्री अनिल कुमार तिर्की अपर समाहर्त्ता, गोड्डा** की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

इस लोक सुनवाई में **श्री मिथिलेश झा वैज्ञानिक सहायक झारखंड़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, मुख्यालय रांची तथा श्री रवीन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय पदाअधिकारी, दुमका, श्री रवि कुमार शोध सहायक झारखंड़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका।** लोक सुनवाई में परियोजना के निकतवर्ती ग्रामों के नागरिक उपस्थित रहे।

लोक सुनवाई के प्रारंभ में **श्री संतोष कुमार सिंह, पर्यावरण प्रमुख अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड** द्वारा परियोजना के बारे में बताया, जैसे परियोजना स्थापित होने से संभावित पर्यावरण प्रभावों तथा नियंत्रण हेतु अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में जानकारी दी तथा एवं **श्री राहुल सिंह, पर्यावरण सलाहकार ग्रीनसीइंडिया कन्सल्टिंग प्रा0 लि0** द्वारा पर्यावरण अध्ययन (ई0आई0ए0) रिपोर्ट का विवरण दिया।

उल्लेखनीय है कि लोक सुनवाई में उपस्थित स्थानीय नागरिकों, युवकों/व्यक्तियों के द्वारा कई प्रकार के प्रश्न भी किए गए और उन सभी प्रश्नों के उत्तर श्री संतोष कुमार सिंह, पर्यावरण प्रमुख अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड के द्वारा दिया गया।

मोतिया, गंगटा, गायघाट, एवं निकवर्ती गांवों में स्थापित होने वाले परियोजना के द्वारा संभावित पर्यावरणीय प्रभावों यथा जल, वायु, एवं ध्वनी प्रदूषण के नियंत्रण हेतु अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर बल दिया गया।

अंत में श्री अनिल कुमार तिर्की अपर समाहर्त्ता, गोड्डा, उपस्थित जन समुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपों को लोकसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जायेगा तथा कार्यवाही की विडियो रिकार्डिंग सी0डी0 एवं फोटोग्राफ पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जायेगा। तद्परांत जिला अपर समाहर्त्ता ने उपस्थित जन समुदाय का आभार प्रकट किया एवं जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की।

लोक सुनवाई में उपस्थित पदाधिकारियों के हस्ताक्षर परिशिष्ठ "अनुलग्नक 1" व उपस्थित लोगों/व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ठ "अनुलग्नक 2" में संलग्न है एवं सभा में उपस्थित लोगों/ग्रामीणों व जन प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों/आक्षेपों का विवरण "अनुलग्नक 3" में संलग्न है।

(अनिल कुमार तिर्की)
अपर समाहर्त्ता, गोड्डा

5/3/2017
मिथिलेश झा
वैज्ञानिक सहायक
झा0रा0प्र0नि0प0,
मुख्यालय रांची

03/17
रवीन्द्र प्रसाद,
क्षेत्रीय पदाअधिकारी
झा0रा0प्र0निप0,
दुमका

5/3/17
अपर समाहर्ता
गोड्डा

अनुलग्नक–1

उपस्थिति पंजी (विशेष आमंत्रित सदस्यो के लिए)

क्र0	नाम	पदनाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1,	अनिल कुमार तिवारी	अपर समाहर्ता गोड्डा	सामान्य [illegible] जिला गोड्डा	[signature] 5/3/17
2	रविन्द्र कुमार	क्षेत्रीय पदा0	झा0 रा0 प्र0 नि0 पर्षद क्षेत्रीय कार्या0, दुमका	रविन्द्र कुमार 05/03/17
3	मिथिलेश झा	[illegible]	झा0 रा0 प्र0नि0 पर्षद राँची	[signature] 5/3/2017

\pril_07\Public_Hearing\sanjeev\1

अनुलग्नक–3

मेसर्स अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, गोड्डा

दिनांकः 05.03.2017 को आयोजित लोक सुनवाई की विवरणी

क्रम सं0	नाम, पिता का नाम एवं पता	नागरिकों/सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्न	कम्पनी प्रतिनिधि द्वारा दिये गये जवाब
1	प्रशांत मंडल – बक्सरा	परियोजना से अपेक्षा है कि CSR के तहत 73 गांवों में वृक्षारोपण का काम करें। कंपनी पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया के आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करें।	CSR के तहत् परियोजना से जुड़े हुए ग्रामों में वृक्षारोपण का कार्य ग्रामवासियों व पंचायत के सहयोग से किया जाएगा। कंपनी पर्यावरण प्रबंधन के लिए 2200 करोड़ रूपये का निवेश करेगी जिसमें SCR, FGD, ESP और Bag filter , ETP, STP इत्यादि उपकरण स्थपित करेगी।
2	अशोक चौधरी – मोतिया	जमीन देने वाले लोग अपनी सहमति दे दिए है।	–
3	प्रेमनंदन मंडल–सोनडीहा	खुशी की बात है कंपनी लग रही है। चतुमुर्खी विकास होगा। आय बढ़ेगी। लोगों को यह भ्रम है कि सांस लेने में तकलीफ होगी व जलस्तर नीचे चला जायगा जो कि सही नहीं है। कंपनी को यह आश्वस्त करना होगा कि परियोजना में प्रस्तावित संशाधनों का उपयोग किया जाएगा। वृक्ष कितना लगेगा। प्लांट एरिया में ही नहीं इस क्षेत्र के जो किसान वृक्ष लगाना चाहते है कंपनी को उनकी मदद करनी होगी। 10 किमी के क्षेत्र में उपस्थित जलाशयों की खुदाई कर गहराई को बढ़ाना होगा। नौकरी में यहां के लोगों को 100 प्रतिशत प्राथमिकता देनी होगी। नई मशीनों को चलाने के लिए ट्रेनिंग दे कर नौकरी देनी होगी।	प्लांट के संचालन के लिए पानी मानसून के दौरान चीर नदी से लिया जाएगा। जल संशाधन विभाग, झारखंड़ सरकार द्वारा 36 एमसीएम सलाना पानी मानसून के समय चीर नदी से निकालने की अनुमति प्रदान दी गई है। भूगर्भीय जल दोहन नही किया जाएगा। वृक्षारोपण का कार्य ग्रामवासियों व पंचायत के सहयोग से किया जाएगा। CSR के तहत् कंपनी तथा सरकार मिलकर मौजूदा तालाबों का गहरीकरण व नए तालाब बनवाने में प्रयासरत रहेगी। कौशल विकास के कार्यक्रम आयेजित किए जाऐंगे जैसे आईटीआई, सिलाई ट्रेनिंग, कम्पूटर ट्रेनिंग, कृषि व पशुपालन एवं अन्य व्यवसायिक कोर्स। स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता उनके शैक्षनिक, अनुभव व योग्यता के आधार पर दी जायगी।

4	बिन्दु मंडल–पुर्वेडीह	क्षेत्र का विकास होगा। संथाल परगना काफी पिछड़ा है। बिजली देनी होगी। जमीन का मुआवजा अधिकतम व एकमुस्त मिले। डीप बोरवेल नहीं होना चाहिए।	स्थापित 1600 मेगावाट की 25 प्रतिशत बिजली झारखंड को JSERC के निर्धारित दर से दी जाएगी। बिजली बांटने का काम JSEB जैसी ऐजेंसी करती है। अदानी बिजली देने के लिए अधिकारीक नहीं है। जमीन का मुआवजा एक अलग अधिनियम से संचालित होता है जिसका कंपनी पूणतः पालन करेगी।
5	हेमंत कुमार–बक्सरा	10 किमी के क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक मशीन लगे और वृक्षारोपण हो। युवाओं के लिए ट्रेनिंग।	कंपनी पर्यावरण प्रबंधन के लिए 2200 करोड़ रूपये का निवेश करेगी जिसमें SCR, FGD, ESP और Bag filter , ETP, STP इत्यादि उपकरण स्थापित करेगी। CSR के तहत् परियोजना से जुड़े हुए ग्रामों में वृक्षारोपण का कार्य ग्रामवासियों व पंचायत के सहयोग से किया जाएगा। कौशल विकास के कार्यक्रम आयेजित किए जाऐंगे जैसे आईटीआई, सिलाई ट्रेनिंग, कम्पूटर ट्रेनिंग, कृषि व पशुपालन एवं अन्य व्यवसायिक कोर्स।
6	रमारमण झा (मुनचुन झा) –डुमरिया	यहां के मजदूरों को रोजगार मिले। पर्यावरण के लिए सभी सरकारी मानकों का पालन हो।	शैक्षिक, अनुभव व योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार में वरीयता मिलेगी। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके कंपनी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेगी।
7	सच्चिदानंद साहा – पटवा	संथाल परगना में कारखाना खुले। पर्यावरण साफ रखने के लिए 10 मौजा में 33 प्रतिशत वृक्षारोपण करें।	CSR के तहत् परियोजना से जुड़े हुए ग्रामों में वृक्षारोपण का कार्य ग्रामवासियों व पंचायत के सहयोग से किया जाएगा।
8	रमन कुमार– पेटवी	पर्यावरण साफ रखने के लिए सरकारी मानकों का पालन करना होगा।	आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके कंपनी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेगी।

9	सुधांशु चौधरी – मोतिया	पर्यावरण साफ रखने के लिए सरकारी मानकों का पालन करना होगा। पानी के लिए सरकारी मानकों का पालन करें।	आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके कंपनी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेगी।
10	सुनील चन्द्र झा– डुमरीया।	पर्यावरण साफ रखने के लिए सरकारी मानकों का पालन करना होगा। पानी के लिए सरकारी मानकों का पालन करें।	आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके कंपनी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेगी।
11	कुन्दन कुमार– पेटवी	रोजगार मिले। डीपबोरिंग न हो। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी मानकों का 100 प्रतिशत पालन हो। वृक्षारोपण हो।	शैक्षिक, अनुभव व योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार में वरीयता मिलेगी। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके कंपनी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेगी।
12	नीतू कुमारी– मोतिया	पर्यावरण साफ करने के लिए वृक्षारोपण हो।	CSR के तहत् परियोजना से जुड़े हुए ग्रामों में वृक्षारोपण का कार्य ग्रामवासियों व पंचायत के सहयोग से किया जाएगा।
13	अंजना चौधरी– मोतिया	रोजगार मिले। पर्यावरण साफ रखने के लिए सरकारी मानकों का पालन हो। वृक्षारोपण अधिक से अधिक हो।	शैक्षिक, अनुभव व योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार में वरीयता मिलेगी। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके कंपनी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेगी।

- लोक सुनवाई मे उपस्थित गांव वाले परियोजना के समर्थन में एवं कुछ लोग जमीन नहीं देने के संबंध में भी नारे लगा रहे थे।

- अदानी पावर परियोजना के समर्थन में विभिन्न मौजों/ग्रामों/प्रखंडों के मुखिया, ग्राम प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, उपमुखिया, वार्ड सदस्यों एवं लगभग 5000 हजार से ज्यादा नागरिकों/ग्रामीणों ने अपनी हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त सहमति पत्र झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, रांची को समर्पित किया है जिसकी प्रति संलग्न है।

5/3/2017
(मिथिलेश झा)
क्षे० प्र०
झा० रा० प्र० नि० पर्षद
मुख्यालय, रांची

5/3/17

अपर समाहर्ता
गोड्डा